सीमा पर गांवों के लिए बड़ा बुनियादी ढांचा-ITBP

चर्चा में क्यों ?

- केंद्र प्रायोजित ग्राम योजना 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में 663 सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदली जाएगी।
- चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच देश की उत्तरी सीमा पर बुनियादी ढांचे की प्रगति के लिए एक ठोस प्रयास में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गयी है।
- जबकि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में 9,000 से अधिक सैनिकों को शामिल करने को मंजूरी दी है। जिसके तहत सात नई बटालियनों और एक नए सेक्टर मुख्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सुरक्षा ग्रिड मजबूत होगी।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है?

- सरकार द्वारा चीन की सीमा के साथ सटे भारत के गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा यह कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा।
- केंद्र सरकार इसका खर्च वहन करेगी।इस कार्यक्रम के तहत आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी सीमा पर दुर्लभ आबादी वाले गांवों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की जरूरत को ध्यान में रखा गया है।
- भारत के ये इलाके विकास के लाभ से छूट जाते हैं, इस तरह के गांवों में सड़क संपर्क में सुधार और ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिए इस प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा।
- इसके अलावा, दूरदर्शन और शिक्षा संबंधी चैनलों की सीधी सुविधा पहुंचाई जाएगी तथा आजीविका के लिए सहायता भी दी जाएगी।

कार्यक्रम क्यों जरूरी?

- भारत में हिमालय की सीमा पर चीन की मौजूदगी जगजाहिर है, ऐसे में इस प्रोग्राम की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- चीन सक्रिय रूप से भारत से लगी सीमा पर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा, यह पलायन को रोकने का प्रयास भी करेगा।
- चीन ने हाल के सालों में भारत के साथ-साथ भूटान और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गांवों का विकास किया है। भारत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को चीन के मॉडल गांवों की प्रतिक्रिया माना जा रहा है।
- मंत्रालय ने कहा, पर्यटन के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, सभी मौसम में सुगम्य सड़क, पेयजल, 24×7 बिजली, सौर और पवन ऊर्जा के साथ-साथ मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- इसके अंतर्गत "युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा।"
- पर्यटन के संबंध में, छात्रों के लिए सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत नियमित क्षेत्र यात्राएं आयोजित की जाएंगी। इनमें से कई सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश के लिए परमिट और अनुमति की आवश्यकता होती है, संगठित यात्राओं के साथ-साथ घरेलू पर्यटकों को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे इसके दायरे का विस्तार करना है।
- कैबिनेट ने **मनाली-दारचा-पदुम-निम्मू अक्ष** पर 4.1 किलोमीटर लंबी **शिंकू-ला सुरंग** को भी मंज़ूरी दे दी है, ताकि लद्दाख से हर मौसम में संपर्क बना रहे।
- 1,681 करोड़ रुपये की शिंकू-ला सुरंग परियोजना दिसंबर, 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह लद्दाख को जास्कर घाटी के माध्यम से देश के अन्य भागों से जोड़ेगी।

स्त्रोत – IE

G-20 संस्कृति समूह की बैठक

चर्चा में क्यों ?

- हालिया जानकारी के अनुसार खजुराहो में पहली G-20 संस्कृति समूह की बैठक का आयोजन किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- **उद्देश्य--** 2030 तक सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी में महत्वपूर्ण कमी लाना।
- ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के विनियमन को मजबूत करना।
- शैक्षिक और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना।

G-20 संस्कृति कार्य समूह (CWG) के बारे में -

- इस बैठक में 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- G-20 CWG 'कल्चर फॉर LiFE' (पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली) का समर्थन करेगा, जो स्थायी जीवन शैली के लिए एक अभियान के रूप में है। यह समूह सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को भी प्रोत्साहित करेगा। इन वस्तुओं की कहानी पैरेंट लेडी के माध्यम से सुनाई जाएगी, जो 800 साल पुरानी बलुआ पत्थर की मूर्ति है, जिसे खजुराहो के एक मंदिर से लूटा गया था, लेकिन 2015 में कनाडा द्वारा भारत को लौटा दिया गया था।
- यह सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और बहाली में सहायक होगा ।
- विभिन्न देशों से हाल के वर्षों में भारत में प्रत्यर्पित की गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा।
- 'रिटर्न ऑफ ट्रेजर' में 25 कलाकृतियों की चार दिवसीय प्रदर्शनी शामिल होगी, जिसमें भारत से चोरी हो जाने और विदेश में तस्करी के बाद भारत लौट आई हैं।
- इसके माध्यम से भारत न केवल इन 25 प्रत्यावर्तित वस्तुओं और उनकी सांस्कृतिक जीवनियों की कहानी पेश करेगा, बल्कि बहाली कानूनों और सम्मेलनों के बारे में जागरूकता भी पैदा करेगा।

G-20 सांस्कृतिक ट्रैक चार विषयों पर केंद्रित होगा –

- सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापना।
- सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का उपयोग।
- सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना।

- **स्थान -**खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में G-20 संस्कृति कार्य समूह की बैठकों में इन चारों पर चर्चा की जाएगी, जबकि चौथा स्थान अभी तय नहीं किया गया है।
- खजुराहो में तीन दिवसीय विचार-विमर्श के दौरान, सदस्य देशों के साथ-साथ अतिथि राष्ट्रों के प्रतिनिधि "सशस्त्र संघर्ष, उपनिवेशवाद, लूटपाट और अवैध तस्करी" के कारण सांस्कृतिक संपत्ति के नुकसान पर चर्चा करेंगे।
- **चुनौतियां**
- अनेक प्रयासों के बावजूद प्राचीन मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध तस्करी प्रमुख बाधा बनी हुई है जो सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी और बहाली में बाधा बन रही है।

स्त्रोत - IE

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट-2017

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक रिपोर्ट में देश भर में सभी 46 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की "अमानवीय और दयनीय" स्थिति की ओर इशारा किया।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHA), 2017 के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए सभी चालू सरकारी सुविधाओं के दौरे के बाद NHRC द्वारा टिप्पणियां की गईं।

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट-1987 के बारे में -

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 1987 ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के संस्थागतकरण को प्राथमिकता दी और रोगी को कोई अधिकार नहीं दिया।
- इसने न्यायिक अधिकारियों और मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को व्यक्ति की सहमति के खिलाफ लंबे समय तक हस्तक्षेप को अधिकृत करने के लिए असंगत अधिकार भी प्रदान किया।
- 1987 के अधिनियम ने औपनिवेशिक युग के भारतीय पागलपन अधिनियम,1912 के लोकाचार को मूर्त रूप दिया, जो आपराधिकता और पागलपन को जोड़ता है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद भारत में स्वास्थ्य के अधिकार आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।

- यह पहली बार था जब मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक मनोसामाजिक दृष्टिकोण (न केवल एक मनोरोग दृष्टिकोण) को अपनाया गया था।

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट- 2017 के बारे में

- यह रोगियों के दीर्घकालिक संस्थागतकरण को हतोत्साहित करता है तथा लोगों के स्वतंत्र रूप से और समुदायों के भीतर रहने के अधिकारों की पुष्टि करता है।
- सरकार को सामुदायिक जीवन के लिए कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों तक पहुँचने के अवसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया।
- यह अधिनियम भौतिक अवरोधों (जैसे चेनिंग) तथा असंशोधित विद्युत-आक्षेपी चिकित्सा (ईसीटी) के लिए वस्तुओं का उपयोग करने को भी हतोत्साहित करता है।
- यह स्वच्छता, भोजन, मनोरंजन, गोपनीयता और बुनियादी ढांचे के अधिकारों पर बल देता है और मानता है कि लोगों की अपनी क्षमता है (जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो)।
- यह लोगों को "अग्रिम निर्देश" बनाने का अधिकार भी देता है और अपने लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।

चुनौतियाँ

- 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य मनोरोग सुविधाओं में लगभग 36.25% आवासीय सेवा उपयोगकर्त्ता इन सुविधाओं में एक वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे थे।
- गृह मंत्रालय के तहत, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज की निगरानी के लिए सभी राज्यों को एक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड (एमएचआरबी) स्थापित करने की आवश्यकता है।
- अधिकांश राज्यों में, इन निकायों की स्थापना या निष्क्रिय रहना अभी बाकी है, जो अधिकारों के उल्लंघन के मामले में निवारण को कठिन बना देता है।
- 2022 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रोगियों की स्थिति का नियमित रूप से आकलन नहीं करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें छुट्टी दी जा सकती है या नहीं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए उपाय

- राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को वर्ष में कम से कम चार बार मानसिक रोगियों का दौरा करना चाहिए (जैसा कि अधिनियम के तहत अनिवार्य है), यह देखने के लिए कि संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है।
- पुनःएकीकरण और पुनर्प्राप्ति का मॉडल अपनाया जाना चाहिए।

KARMANYEVADHIKARASTE MA PHALESHU KADACHAN THE STUDY An Institute for IAS

- चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने पांच हाफवे होम लॉन्च किए, जहाँ लोग एक संरचित संस्थान के बाहर खुद को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और कौशल का उपयोग कर सकते हैं।
- केरल ने परिवार के सदस्यों द्वारा छोड़े गए लोगों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए हाफवे होम और सामुदायिक केंद्रों की भी शुरुआत की है।

रिवर सिटीज एलायंस

चर्चा में क्यों ?

- राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा रिवर सिटीज़ एलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा का आयोजन किया जा रहा है।

रिवर सिटीज एलायंस के बारे में

- रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA) को 2021 में शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए चर्चा और सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु भारत के नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इसमें गंगा बेसिन और गैर-गंगा बेसिन दोनों राज्यों के शहर शामिल हैं।
- रिवर सिटीज़ एलायंस दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है, जो दो मंत्रालयों यानी जल शक्ति मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है।
- एलायंस तीन व्यापक विषयों- नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है।

स्रोत: पीआईबी

मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI)

चर्चा में क्यों?

- अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) ने अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों और प्रदर्शकों की उपस्थिति में अपनेक्स्ट इंडिया - 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पहल "UPNEXT INDIA" के नाम से रिवर्स बायर-सेलर मीट की एक श्रृंखला के रूप में है।

- रिवर्स बायर सेलर मीट संभावित आयातकों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए खरीददारों के पास जाने वाले विक्रेताओं के बजाय आवश्यकताओं के बारे में अपने भारतीय समकक्षों (विक्रेताओं) के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करने के लिए है।
- अपनेक्स्ट इंडिया AEPC द्वारा आयोजित किया जाता है और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) योजना के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI)

- यह एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का उद्देश्य निरंतर रूप से भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।
- यह योजना उत्पाद और देश के दृष्टिकोण के आधार पर तैयार की गई है। यह बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाजार और विशिष्ट उत्पाद विकसित करेगी।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC)

- 1978 में निगमित, AEPC भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है जो भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ आयातकों/अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों को अमूल्य सहायता प्रदान करता है जिससे वे भारत को कपड़ों के लिए अपने पसंदीदा सोर्सिंग गंतव्य के रूप में चुनते हैं।

स्रोत: पीआईबी

KARMANYEVADHIKARASTE
THE STUDY
MAA PHALESHU KADAACHAN
An Institute for IAS